

RRN<sup>o</sup>. 437

31-5-2011

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 1(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक

24 MAY 2011

—: आदेश :—

श्री भीवाराम चौधरी, आर.ए.एस. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 16/2010 है तथा सेवानिवृति दिनांक 30.4.2012 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या 12, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश खतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सचिवालय सेवा निवास रथन द्वारा दियादे का अवधारणा और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर रथानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरस्तः जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा देने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आक्षित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कर्मिक (क-4) विभाग।
5. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी अशा० टीप संख्या मु.म.-उ.स.(वीपी)/प-2/(सप्रवि)/ (जय)/11/29498 दिनांक 19.4.2011 तथा डायरी संख्या एफ11001456 दिनांक 2.5.2011 के क्रम में।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रवन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
9. प्रवन्ध निदेशक, राजकॉर्म, प्रथम तल योजना नवग, जयपुर-कूदाला उक्त अदेश को जारी प्रसासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, साठनिवि०/जन स्था० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. श्री भीवाराम चौधरी, आर.ए.एस. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निदेशक, उद्यान विज्ञा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
16. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, राजप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

RRM. 437  
31-5-2011

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.4(3)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक 24 May 2011

—: आदेश :—

श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय उप शासन सचिव, मंशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 44/2011 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.5.2014 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 10(IX) के प्रावधान अन्तर्गत उनकी पत्नि श्रीमती अंजना गोयल, प्रधानाचार्य, शि.ङ्‌.नि. माध्यमिक जयपुर का राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, सिकराय (दौसा) स्थानान्तरण होने के कारण उनके नाम आवंटित राजकीय आवास संख्या ई-732, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन श्री अरुण कुमार गुप्ता के नाम से नियमानुसार किशये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

OIC(b)(b) शर्तों :—

- A 1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 31-5-2011 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- 20/5/11 3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- 16/5 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- Dm.(mt) 5. स्वयं तथा पर्ली/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :—
1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
  9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

80

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, दौसा।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।